राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

पीठासीन अधिकारी : कुलदीप, तहसीलदार

मिसल संख्या : 14/2018

किस्म मुकदमा : **राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91**

तारीख दर्ज : 28.05.2018 **निर्णय दिनांक :** 25/1/2021

राजस्थान सरकार **बनाम** परसाराम पुत्र किशनाराम

जाति बावरी निवासी मांगलोदी

–: उनवान :–

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सरगौठ द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि परसाराम पुत्र किशनाराम जाति बावरी नें ग्राम मांगलोदी के खसरा नम्बर 44 व 49 कुल किता 2 रकबा 28.36 हैक्टर किस्म गै.मु. गौचर व खारड़ा, गौचर में से रकबा 0.24 हैक्टेयर भूमि पर सम्वत 2075 में बाड़ लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु जरिये नोटीस तलब किया गया। नोटिस की प्रति अप्रार्थी की पुत्रवधु सीता ने प्राप्त की। जो तामील मानकर शामिल मिसल की गयी। अप्रार्थी उपस्थित होकर जवाब पेश कर कथन किया कि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही किया गया है।

अप्रार्थी आज दिनांक को अनुपस्थित रहा तथा प्रस्तुत जवाब के साथ ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है कि जिससे प्रार्थना –पत्र मे उल्लेखित तथ्यो की पुष्टि हो सके एवं उक्त भूमि आज दिन भी राजस्व रिकोर्ड में गैर मु. गौचर व खारड़ा दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने जानबूझकर राजकीय भूमि पर अतिकमण किया है। एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।

अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिकमी घोषित किया जाता है अप्रार्थी को ग्राम मांगलोदी के आराजी राज खसरा नम्बर 44, व 49 कुल किता 2 रकबा 28.36 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गौचर, व खारड़ा–गौचर भूमि में से रकबा 0.24 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप अप्रार्थी पर लगाान 1.44 का पच्चास गुणा से राशि 72/– अक्षरे बहत्तर रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को अप्रार्थी को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें। आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 25/1/2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मॉंग कायमी रा.ले.स.-4
पृष्ठ संख्या 42
20-21
जुर्माना 72
लगान जुर्माना —
प्रा.पैदावार —
तहसील कुचामन सिटी

(कुलदीप)
तहसीलदार कुचामन सिटी
जिला- नागौर